भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 461
(03 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

राजस्थान में पीएमएवाई-जी

461. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में झुंझुनू लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत स्वीकृत, पूर्ण, अपूर्ण और लंबित आवासों की जिला-वार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त योजना के तहत वर्तमान वर्ष और पिछले तीन वर्षों के दौरान झुंझुनू लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में स्वीकृत, निर्मित और लंबित आवासों की स्थिति क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना के तहत निर्धारित समय-सीमा का उल्लंघन किया गया है; और

(घ) क्या लाभार्थियों ने भुगतान, गुणवत्ता और निर्माण में देरी के संबंध में शिकायतें दर्ज की हैं और यदि हां, तो उनके निवारण की स्थिति के साथ-साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है , जिसका उद्देश्य मार्च 2029 तक 4.95 करोड़ घरों का निर्माण करना है (इसमें पिछली योजना का लक्ष्य अर्थात 2.95 करोड़ घर शामिल हैं), ताकि पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ सहायता प्रदान कर ''सबके लिए आवास'' का लक्ष्य हासिल किया जा सके। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत , लाभार्थियों को मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और उत्तर-पूर्वी राज्य , पहाड़ी राज्य (जिसमें जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं) में 1.30 लाख रुपये की इकाई सहायता प्रदान की जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पीएमएवाई-जी के तहत राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों को 4.14 करोड़ घरों का लक्ष्य आवंटित किया है, जिसके सापेक्ष राज्यों द्वारा 3.87 करोड़ से अधिक घरों के लिए मंजूरी दी जा चुकी है और 30.01.2026 तक 2.95 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण पूरा हो चुका है।

राजस्थान राज्य को पीएमएवाई-जी के तहत कुल 24,97,121 घरों का लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिसमें से राज्य द्वारा 24,33,613 घरों को स्वीकृत किया जा चुका है और 30.01.2026 तक 18,49,728 घरों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। मंत्रालय पीएमएवाई-जी के लक्ष्यों को राज्यों/ संघ-राज्य क्षेत्रों को समग्र रूप से आवंटित करता है और जिला-स्तरीय लक्ष्य संबंधित राज्य/ संघ-राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। वर्ष 2022–23 और 2023–24 के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य को कोई लक्ष्य आवंटित नहीं किया गया था। राजस्थान राज्य में वित्त वर्ष 2024–25 और 2025–26 के लिए पीएमएवाई-जी की प्रगति निम्नानुसार है:

वर्ष	लक्ष्य	स्वीकृति	पूर्ण	प्रगति के तहत
2024–25	5,00,723	5,00,312	1,31,554	3,68,758
2025–26	2,21,052	2,18,140	7,675	2,10,465
कुल	7,21,775	7,18,452	1,39,229	5,79,223*

* इसमें 1,25,678 लाभार्थी शामिल हैं जिन्हें तीसरी किश्त संवितरित की जा चुकी है।

झुंझुनूं लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के जिलों में पिछले तीन वर्षों में पीएमएवाई-जी के तहत स्वीकृत और पूर्ण किए गए घरों की स्थिति निम्नानुसार है:

जिला	स्वीकृत	पूर्ण
झुंझुनू	1122	368
सीकर	59	28
कुल	1181	396

**राज्य से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार*

इसके अलावा, झुंझुनू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र को वर्तमान वित्त वर्ष के लिए राज्य द्वारा 28.01.2026 तक 3 घरों का लक्ष्य आवंटित और मंजूर किया गया है।

(घ) पीएमएवाई-जी की कार्यान्वयन रूपरेखा (एफएफआई) के अनुसार, प्रशासन के विभिन्न स्तरों जैसे ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है। प्रत्येक स्तर पर राज्य सरकार का एक अधिकारी नियुक्त किया गया है ताकि शिकायतकर्ता की संतुष्टि के अनुसार शिकायतों का निपटान सुनिश्चित किया जा सके। प्रत्येक पंचायत में शिकायतों के निपटान के लिए नियुक्त अधिकारी का विवरण और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाती है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम) पोर्टल (pgportal.gov.in) पर शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया भी उपलब्ध है। मंत्रालय को सीपी ग्राम या अन्य माध्यम से प्राप्त शिकायतों को संबंधित राज्य सरकारों को उनकी शिकायत का निवारण करने और मंत्रालय

को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अग्रेषित किया जाता है , जिसमें शिकायकर्ता को भी एक महीने के भीतर सूचित किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर , पोर्टल पर प्राप्त कुल 7,25,604 शिकायतों में से 7,25,470 का निवारण किया जा चुका है। योजना के प्रारंभ से ही राजस्थान से कुल 272 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें भुगतान, गुणवत्ता और निर्माण में देरी से संबंधित शिकायतें शामिल हैं, जिनमें से 263 का उत्तर दिया जा चुका है। शिकायतों और समस्याओं का समाधान एक सतत प्रक्रिया है।

*****